संख्या- 99 /2022/ 480 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 22-23 मार्च, 2022 को आयोजित कार्यक्रमों में अन्य व्यय पर हुए व्यय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5340/सं0नि0-15(92)/2021-22टीसी दिनांक 27 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 22-23 मार्च, 2022 को आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों के नाश्ता, वीडियोग्राफी/लाइवट्रीमिंग, इनविटेशन कार्ड सर्टिफिकेट, चेक प्रिन्ट एवं क्रियेटीव डिजाइन इत्यादि पर हुए व्यय कुल धनराशि रू0 2,04,748/- (रूपये दो लाख चार हजार सात सौ अडतालिस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 2,04,748/- (रूपये दो लाख चार हजार सात सौ अडतालिस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 2,04,748/- (रूपये दो लाख चार हजार सात सौ अडतालिस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी -चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 99 /2022/ 480 /(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in